

दिनांक:- 15.05.2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
हरदोई।

विषय: जनपद हरदोई में राज्य मार्ग संख्या - 38 (बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 21.00, राज्य मार्ग संख्या - 21 (बिलरावा - पनवारी रोड) कि.मी. 174.00 से कि.मी. 199.00 तक कुल कि.मी. 46.00 एवं 0.4848 हे० तक सड़क के किनारे पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1. पत्रांक 3812/14 - 1 दिनांक , 12.04.2018।

2. आर्ने लाइन Proposal No- FP/UP/Others /31676/ 2018 दिनांक 03.02.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सभी रजों से क्षेत्रीय वनाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है। भारत सरकार के शासनादेश सं० - एफ० नं० - 11- 09 - 98 - एफ० सी० दिनांक 28.10.2014 में उल्लिखित बिन्दुवार दिशा निर्देश के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान की गयी है। तथा प्रस्ताव की एक प्रति डी०एम० हरदोई के कार्यालय में जमा करा दी गयी थी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी , हरदोई के स्तर पर लम्बित है। प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में वचनवद्धता दी गयी थी। जिलाधिकारी , हरदोई के स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके स्तर से जो आख्या माँगी गयी है जो कि आपके स्तर से दी जानी शेष है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता